

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 446

उत्तर देने की तारीख- 22.07.2026

सरकारी भर्ती परीक्षाओं में दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) को सुगमता

446. डा. के. लक्ष्मण:

श्री मिथलेश कुमार:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) के लिए सुगमता और उचित सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने स्क्राइब (लिखने में मदद करने वाले), सहायक तकनीक और परीक्षा संबंधी सुविधाओं के प्रावधान पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ग) भर्ती करने वाली एजेंसियों और परीक्षा प्राधिकरणों द्वारा इन दिशानिर्देशों का एक समान रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(घ) भर्ती प्रक्रिया के दौरान नियमों के पालन की निगरानी करने, शिकायतों का समाधान करने और दिव्यांग उम्मीदवारों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या व्यवस्था है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री बी. एल. वर्मा)

(क): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने सरकारी भर्ती तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सुगमता एवं युक्तियुक्त सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु दिव्यांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षाओं के आयोजन संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। विभाग ने बेंचमार्क दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 29.08.2018 के दिशानिर्देश तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले अभ्यर्थियों के लिए दिनांक 10.08.2022 के दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, स्क्राइब (लेखक) की सुविधा, प्रतिपूरक समय, सहायक उपकरणों के उपयोग, सुगम परीक्षा केन्द्रों तथा अन्य युक्तियुक्त सुविधाओं का प्रावधान किया गया है।

(ख): दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) ने पूर्ववर्ती दिशानिर्देशों का अधिक्रमण करते हुए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रतियोगी लिखित सार्वजनिक परीक्षाओं के आयोजन संबंधी संशोधित दिशानिर्देश दिनांक 01.08.2025 को जारी किए थे। तथापि, दिव्यांग अभ्यर्थियों तथा दिव्यांग व्यक्तियों के संगठनों द्वारा उठाई गई चिंताओं के समाधान के लिए विभाग ने उक्त संशोधित दिशानिर्देशों को 31.12.2026 तक स्थगित रखने का निर्णय लिया। तदनुसार, दिनांक 29.08.2018 तथा 10.08.2022 के दिशानिर्देश इस अंतरिम अवधि के दौरान लागू रहेंगे।

(ग) एवं (घ): उपर्युक्त दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु इन्हें भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों तथा परीक्षा आयोजित करने वाले निकायों को परिचालित किया गया है। अभ्यर्थियों से प्राप्त शिकायतों/परिवेदनों का निस्तारण प्रचलित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकरण-दर-प्रकरण किया जाता है।
